राजस्व लोक अदालत कैम्प खन्नौड़ा तहसील पचपदरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस

मुकदमा न0 61 / 2018

अपीलाण्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्ट
1. माधुराम पुत्र बींजाराम नाबालिक की सरक्षंक धाई देवी पत्नी बींजाराम जाति मेघवाल निवासी नयापुरा		1. छगनाराम पुत्र बींजाराम 2. मोतीराम पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल निवासी नयापुरा 3. सरपंच ग्राम पंचायत नयापुरा

अपील अंतर्गत धारा 75 रा.भू.राजस्व अधिनियम विरूद्व ग्राम पंचायत खनोड़ा

निर्णय दिनांकः–19.06.2017

आदेश

यह अपील अपीलान्ट के द्वारा अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत मौजा नयापुरा में अपीलांट के पिता बिंजाराम पुत्र रावताराम के नाम की सयुक्त खातेदारी भूमि आई हुई जिसमें बिंजाराम की मृत्यु होने पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण संख्या 19 की कार्यवाही की गई जिसमें अपीलांट का नाम माधुराम की बजाय हरिराम गलत दर्ज किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलांट एवं रेस्पोड़ेट संख्या 2 नाबालिक होने से इनकी संरक्षक धाई देवी, भाई छगनाराम के बयान कलमबंद किए गये। सरपंच ग्राम पंचायत नयापुरा द्वारा प्रमाण पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया। निरीक्षक बड़नाव उपतहसीलदार पाटोदी की रिपोर्ट एवं मजमें आम पूछताछ के अनुसार बिंजाराम के तीन पुत्र छगनाराम, मोतीराम, माधुराम पिसरान बींजाराम है। नामान्तरण संख्या 19 में हरिराम का इन्द्राज गलत हुआ है। अतः अपील स्वीकार योग्य हैं।

अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर ग्राम नयापुरा के नामान्तरण संख्या 19 अपास्त किया जाता है। हरिराम पुत्र बींजाराम की बजाय माधुराम पुत्र बींजाराम राजस्व रेकर्ड में दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को राजस्व रेकर्ड दुरस्त करने के आदेश जारी हो।

आदेश राजस्व लोक अदालत 2018 न्याय आपके द्वारा खन्नौड़ा खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

पत्रावली फैसल सुमार होकर के दाखिल दफतर हो ।

(भागीरथ राम)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-20
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
बालोतरा कैम्प......

Scanned by CamScanner